पत्रांक –3/एम०–162/2005सा0प्र0 13934 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 25/11/2021

विषय– मुख्य जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एवं अनुदेशों का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–6956 दिनांक–21.10.2008 द्वारा सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रतिवेदित गम्भीर कदाचार एवं बेईमानी आदि आरोपों की जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में कतिपय निदेश परिचारित किये गये हैं।

2. साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–12787 दिनांक–28.08.2015 द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोपों की जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि उपर्युक्त परिपत्रों में निहित निदेश का अनुपालन कतिपय मामलों में नहीं किया जा रहा है।

4. अतः अनुरोध है कि—

(i) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक—6956 दिनांक—21.10.2008 में निहित प्रावधानानुसार विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित आरोप प्रकरण में प्रतिवेदित आरोप गम्भीर कदाचार, बेईमानी, गबन आदि से ही संबंधित है। अन्य आरोपों के संबंध में विभाग/ कार्यालय के अधीन पदस्थापित पदाधिकारियों से जाँच करायी जा सकती है या अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानानुसार स्वयं भी जाँच कर सकते हैं।

(ii) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक—6956 दिनांक—21.10.2008 में निहित प्रावधानानुसार मुख्य जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति भी प्राप्त कर ली जाय। परन्तु जिन मामलों में मुख्य जाँच आयुक्त को जाँच सुपूर्द किये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो उन मामलों में मुख्य सचिव की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(iii) मुख्य जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सुपूर्दगी संबंधी संकल्प के साथ तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–6956 दिनांक–21.10.2008 में यथानिर्धारित जाँच पत्र में वांछित सूचना भरकर सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ भेजा जाना अपेक्षित होगा, ताकि मुख्य जाँच आयुक्त आस्वस्त हो सकें कि जाँच के लिए अपेक्षित प्रक्रियागत कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्पन्न कर ली गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु जाँच पत्र का प्रपत्र संलग्न है।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–12787 दिनांक–28.08.2015 द्वारा परिचारित निदेश के आलोक में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने वाले मामलों में मुख्य जाँच आयुक्त को ही संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाय।

5. उपर्युक्त अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थों को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

22/11/21

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।